न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 286 सन् 2016

पंजीयन दिनांक :- 11.08.2016

1. छगनलाल पिता गंगाराम जाट निवासी पटोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट

विरूद्ध

1. भगवानलाल पिता किशना जाट निवासी पटोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
2. राधा पुत्री गंगाराम पत्नी भगवान जाट निवासी पटोलिया तहसील कपासन हाल निवासी रावतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
3. मोहनी बेवा गंगाराम जाट निवासी पटोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
4. किशोरी पुत्री किशना पत्नी भैरूलाल जाट निवासी पटोलिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ हाल निवासी बडगाव बांध, तहसील मावली जिला उदयपुर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 220/2015 वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016

वक्त बहस उपस्थित- 1. किशनलाल कुमावत- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्द्रशेखर जोशी- रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 4
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. रमेशचन्द्र शर्मा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय **दिनांक :- 16.06.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पटोलिया में खसरा संख्या 2,4,17,27,32,54,75,76,83,300,2081,2125,2165,2177,2185, 2186,2190 से 2195 कुल किता 22 कुल रकबा 6.21 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2216 रकबा 0.99 हैक्टेयर कृषि आराजीयात अवस्थित है। उपर्युक्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/2 हक हिस्सा है। अतः मौके पर सहखातेदारों के कब्जे अनुसार बंटवारा किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के जवाबदावें में नियत रहते हुए उक्त पत्रावली दिनांक 17.06.2016 को लोक अदालत केम्प पारी में नियत की जाकर वादपत्र अनुसार प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित व रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रस्तुत किया। पत्रावली दिनांक 31.05.2016 तक जवाबदावे में नियत थी तथा आगामी दिनांक 31.08.2016 को जवाबदावें में नियत की गई थी जिसमें बिना किसी सूचना के लोक अदालत केम्प कोर्ट पारी में नियत की जाकर दिनांक 17.06.2016 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर नही मिला। बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत की भावना के विपरीत पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2016 को लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। कमिश्नर तहसीलदार भूपालसागर से प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुरूप पक्षकारान के हिस्से में बराबर बराबर रकबा रखते हुये फर्द बंटवारा तैयार किये जाने के आदेश हुये। विभाजन प्रस्ताव तैयार हो जाने के पश्चात अन्तिम डिक्री जारी हो जाने पर यदि कोई आपत्ति होती तो अपील की जानी उचित होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुरूप पक्षकारान के हिस्से में बराबर बराबर रकबा रखते हुये फर्द बंटवारा तैयार किये जाने बाबत होने से उक्त निर्णय व डिक्री में कोई विवाद नही होना लाजमी है। प्रस्तुत अपील सारहीन होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पटोलिया की विवादित कृषि आराजीयात का मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जावें। पत्रावली प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के जवाबदावे में नियत रहते हुए दिनांक 17.06.2016 को लोक अदालत केम्प कोर्ट पारी में नियत की जाकर वादपत्र में प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये। आदेशिका अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ही लोक अदालत में उपस्थित हुये। कोई भी प्रतिवादी अपीलांट अथवा रेस्पोडेन्ट लोक अदालत में सूचना के अभाव में उपस्थित नहीं थे। बिना सूचना दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी लिखित राजीनामा के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये जो लोक अदालत की भावना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर विधिसम्मत नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 का जवाबदावा प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत नवनिर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर को पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटाई जावें।

16/6/2023.

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)